केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग,
मुनिरका, नई दिल्ली – 110067.

संचिका सं. CICOM/R/2017/01379 दिनांक 23.11.2017

सेवा में,

श्री अभय कुमार,

विषय- आयोग में प्राप्त आपके आर.टी.आई. आवेदन के संबंध में सूचना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपका दिनांक 03.11.2017 का आर.टी.आई. आवेदन जो कि केन्द्रीय सूचना आयोग में दिनांक 16.11.2017 को डायराइज हुआ (डायरी सं. 176705) तथा दिनांक 17.11.2017 को आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में प्राप्त हुआ, के संदर्भ में वांछित सूचना निम्नानुसार है:-

बिंदु सं. 1 से 4	प्रश्न ही नहीं उठता – का उल्लेख सूचना अधिकार अधिनियम के तहत आपके सूचना मांगने के अधिकार के संबंध मं नहीं बल्कि प्रदान की गई सूचना कि जब कोई पद रिक्त ही नहीं है, तो पद रिक्त होने के लिए कोई अधिकारी जिम्मेदार कैसे हो सकता है, के संदर्भ में किया गया है । प्रदान की गई सूचना में किन किन शब्दों/वाक्यों का प्रयोग किया जा सकता है, सूचना अधिकार अधिनियम में इसका कोई उल्लेख/प्रावधान नहीं है ।
बिंदु सं. 5	आपका दिनांक 03.11.2017 का आर.टी.आई. आवेदन जो कि केन्द्रीय सूचना आयोग के डाक अनुभाग में दिनांक 16.11.2017 को प्राप्त हुआ तथा दिनांक 17.11.2017 को आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में प्राप्त हुआ तथा दिनांक 23.11.2017 को आपको वांछित सूचना प्रेषित की जा रह है ।
बिंदु सं. 6	इस आर.टी.आई. के निपटाने के लिए किसी अन्य अधिकारी की सहायता नहीं ली गई है और न ही कोई नोटिंग की गई है ।
बिंदु सं. 7	इस आर.टी.आई. आवेदन से संबंधित सूचना उपलब्ध करवाने में अधोहस्ताक्षरी के अतिरिक्त किसी अन्य अधिकारी की कोई भूमिका नहीं है ।
बिंदु सं. 8.	श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली- 110067 – यह सूचना आपको इससे पूर्व के आर.टी.आई. आवेदनों के प्रतिउत्तर में भी उपलब्ध करवाई जा चुकी है एवं आयोग द्वारा प्रत्येक आर.टी.आई. आवेदनों से संबंधित प्रदान की गई सूचना में प्रथम अपीलीय अधिकारी का विवरण बिना मांगे उपलब्ध करवाया जाता है ।
बिंदु सं. 9 एवं 10	वांछित सूचना हेतु सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 का अवलोकन करें जो कि आयोग की वेबसाइट के लिंक http://cic.gov.in/sites/default/files/rti-actinhindi.pdf पर उपलब्ध है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं है तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली- 110067 पर की जा सकती है ।

(ए. के. शर्मा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई.सेल